राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

भारत सरकार

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

अल्पसंख्यक कल्याण योजना संबन्धित पुस्तिका

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

डॉ. वीरेन्द्र कुमार
अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री

श्री सैय्यद ग़युरुल हसन रिज़वी
अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

श्री जॉर्ज कुरियन
उपाध्यक्ष

श्री सुनील सिंघी
सदस्य

सुश्री सुलेखा कुंभारे
सदस्य

श्री वडा दस्तूरजी खुरशेद के. दस्तूर
सदस्य

श्री मंजीत सिंह राय
सदस्य

विषय सूची

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 2
- भूमिका 2
- आयोग के कार्य 2
- आयोग की शक्तियाँ 2
- अल्पसंख्यक की परिभाषा 3
- वर्तमान आयोग 3
- अल्पसंख्यक आबादी 3
- अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए स्वायत्तशासी/सहायक व्यवस्थाएं/संस्थाएं 3

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रयास 4
- शैक्षिक सशक्तिकरण 4
- आर्थिक सशक्तिकरण 4
- सशक्तिकरण हेतु विशेष पहल 5
- संस्थानों को सहायता 5

शैक्षिक सशक्तिकरण 6
- मैट्रिक पूर्व छात्रवृति योजना 6
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना 6
- मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृति 7
- मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन 7
- मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप 8
- मेधावी छात्राओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय स्कॉलरशिप योजना 8
- ख्वाज़ा गरीब नवाज कौशल विकास प्रशिक्षण योजना 9
- पढ़ो प्रदेश 9
- नया सवेरा – अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना 10
- नई उड़ान 11

आर्थिक सशक्तिकरण 12
- सीखो और कमाओ – अल्पसंख्यकों के कौशल विकास हेतु योजना 12
- उस्ताद – विकास हेतु कौशल उन्नयन तथा पारम्परिक कलाओं/शिल्पों का प्रशिक्षण 12
- नई मंजिल–अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एकीकृत शिक्षा एवं आजीविका पहल 13
- मौलाना आजाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी 13
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम के माध्यम से वित्तीय सहायता 13

विशेष प्रयास 15
- नई रोशनी – अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास हेतु योजना 15
- जियो पारसी 15
- हमारी धरोहर 15
- हज प्रबंधन 16
- वक्फ डिविजन 16
- नई पहल 16

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसडीपी) 17

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम 18

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

भूमिका

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (Act XIX of 1992) को अधिनियमित कर एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। यह अधिनियम 17 मई, 1993 से लागू किया गया। आयोग में एक उपाध्यक्ष को शामिल करने के लिए अधिनियम में दिनांक 08.09.1995 को संशोधन किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1995 पारित करने के पश्चात् आयोग में अब एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच सदस्य हैं, जिनमें से अध्यक्ष सहित पाँचों सदस्यों को अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से होना आवश्यक है। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 23.10.1993 को एस.ओ. सं0 816 (ई) अधिसूचना के तहत पाँच धार्मिक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया। तत्पश्चात, केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 27.01.2014 को एस.ओ. सं0 267 (ई) अधिसूचना के तहत जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया।

आयोग के कार्य

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 9(1) के प्रावधानों के अनुसार आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

(क) संघ और राज्यों के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(ख) संविधान में और संसद तथा राज्य–विधान मण्डलों द्वारा अधिनियमित कानून में अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए संरक्षण की कार्यप्रणाली का अनुश्रवण करना।

(ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए अनुशंसा करना।

(घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों को वंचित करने एवं सुरक्षा उपायों के बारे में शिकायतों पर ध्यान देना और इस तरह के मामलों को सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष उठाना।

(ङ) अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी प्रकार के भेदभाव से उत्पन्न हुई समस्याओं का अध्ययन कराना और उनको दूर करने के उपायों की सिफारिश करना।

(च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मामलों पर अध्ययन, शोध और विशलेषण करना।

(छ) किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उचित उपायों पर सुझाव देना।

(ज) अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी भी मामले एवं विशेष कर उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों के मामले में केन्द्रीय सरकार को समय–समय पर या विशेष तौर पर प्रतिवेदन भेजना।

(झ) कोई अन्य विषय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए।

आयोग की शक्तियाँ

उपरोक्त कंडिका की उप–कंडिका (क), (ख) एवं (घ) में वर्णित किसी भी कृत्य को करने तथा विशेषकर निम्नलिखित मामलों में आयोग को किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ है:

(क) भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को समन करना और हाजिरी सुनिश्चित करना और शपथ पर उससे पूछताछ करने का अधिकार।

(ख) किसी भी दस्तावेज़ को प्रकट एवं उसका प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करना।

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(घ) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की मांग करना।

(ङ) साक्षियों और दस्तावेज़ों की जाँच का आदेश देना एवं

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

अल्पसंख्यक की परिभाषा

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 'अल्पसंख्यक' का आशय केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित एक तरह के समुदाय से है। इस प्रकार आयोग के कार्य और जिम्मेदारियाँ छः अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से उनके धर्म के आधार पर अर्थात, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन से संबंधित हैं।

वर्तमान आयोग

अध्यक्ष : श्री सैय्यद ग़युरुल हसन रिज़वी

उपाध्यक्ष : श्री जॉर्ज कुरियन

सदस्य :
1. श्री सुनील सिंघी
2. सुश्री सुलेखा कुंभारे
3. श्री वडा दस्तूरजी खुरशेद के. दस्तूर
4. श्री मंजीत सिंह राय

अल्पसंख्यंक आबादी

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की कुल आबादी में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 20.20 प्रतिशत है। धर्म–वार ब्यौरा इस प्रकार है:

मुस्लिम : 17.22 करोड़ (14.23 प्रतिशत)

ईसाई : 2.78 करोड़ (2.30 प्रतिशत)

सिख : 2.08 करोड़ (1.72 प्रतिशत)

बौद्ध : 84.43 लाख (0.70 प्रतिशत)

जैन : 44.52 लाख (0.37 प्रतिशत)

पारसी : 57,264

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित स्वायत्तशासी/सहायक व्यवस्थाएं/संस्थाएं कार्यरत हैं

सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए

1. भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त
2. मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन
3. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
4. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
5. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

केवल मुस्लिमों के लिए

5. दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम
6. केन्द्रीय वक्फ परिषद
7. राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रयास

मंत्रालय ने सकारात्मक कार्यवाही और समेकित विकास के माध्यम से अल्पसंख्यकों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 'अल्पसंख्यक सशक्तिकरण' नामक वृहद योजना के तहत बहु–आयामी रणनीति बनाई है:

- शैक्षणिक सशक्तिकरण
- आर्थिक सशक्तिकरण
  - ऋण उपलब्ध करवाना
  - कौशल विकास कार्यक्रम
  - परम्परागत कौशल का संरक्षण
- विशेष जरूरतों के लिए कार्यक्रम– इसके तहत 5 योजनाएं चल रही हैं
  - महिला सशक्तिकरण
  - समृद्ध विरासत/संस्कृति का संरक्षण
  - पारसियों की जनसंख्या में गिरावट को रोकना
  - वक्फ प्रबंधन
  - हज प्रबंधन
- बुनियादी ढांचे का विकास

अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण नामक मुख्य योजना के अधीन उपयोजनाएं

शैक्षिक सशक्तिकरण

1. मैट्रिक पूर्व छात्रवृति योजना
2. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना
3. मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति
4. मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप
5. पढ़ो परदेश–विदेशों में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण पर ब्याज में छूट
6. नया सवेरा–मुफ्त कोचिंग और अन्य संबंधित योजना
7. नई उडान–संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को सहायता की योजना

आर्थिक सशक्तिकरण

1. सीखों और कमाओ–अल्पसंख्यकों के कौशल विकास हेतु योजना
2. उस्ताद–विकास हेतु कौशल उन्नयन तथा पारंपरिक कलाओं/शिल्पों का प्रशिक्षण
3. नई मंजिल–एकीकृत शिक्षा एवं आजीविका पहल
4. मौलाना आजाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (मानस)
5. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम के माध्यम से वित्तीय सहायता (कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना)

सशक्तिकरण हेतु विशेष पहल

1. नई रोशनी – अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना
2. जियो पारसी – पारसी अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को रोकने हेतु योजना
3. हमारी धरोहर – भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत संरक्षित करने की योजना
4. प्रचार सहित विकास योजनाओं के बारे में अनुसंधान/विकास, निगरानी और मूल्यांकन
5. हज प्रबंधन

संस्थानों को सहायता

1. मौलाना आजाद शिक्षण संस्थान को अनुदान
2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम की राज्य की चैनलिंग एजेंसियों को अनुदान
3. राज्य वक्फ बोर्डों का कम्प्यूटरीकरण और सुदृढीकरण
4. वक्फ के लिए अनुदान

शैक्षिक सशक्तिकरण

मैट्रिक पूर्व छात्रवृति योजना

उद्देश्य

- इस योजना के तहत कक्षा एक से दस में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों को भारत सरकार की ओर से छात्रवृति दी जाती है ताकि बच्चों की स्कूली शिक्षा पूरा करने के लिए माता–पिता को प्रोत्साहन मिले।

आवेदन कैसे करें

- छात्रवृत्ति पाने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
- इसके लिए पोर्टल पर स्व–प्रमाणित फोटो, माता–पिता की आय का प्रमाणपत्र तथा अपने अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में स्वयं का घोषणा पत्र लोड करना होता है। अब इस बारे में स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है।

पात्रता

- इसके लिए शर्त यह है कि छात्र ने अपनी पिछली परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों तथा उसके माता–पिता की वार्षिक आय 1 लाख रूपयों से अधिक न हो।

इस योजना से लाभ

- इस योजना के तहत रोजाना स्कूल जाने वाले एक से पांचवी कक्षा में पढने वाले तथा हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को 100/– रूपये प्रतिमाह (10 माह के लिए) छात्रवृत्ति दिया जाता है।
- कक्षा छह से दस में पढने वाले हॉस्टल में रहने वाले छात्रों तथा रोजाना स्कूल जाने वाले छात्रों को प्रतिवर्ष 500/– रूपये प्रवेश शुल्क के तौर पर तथा शिक्षण शुल्क के लिए हर महीने 350/– रुपये दिया जाता है। साथ ही साथ हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को 600/– प्रतिमाह की दर से साल में दस महीने के लिए अनुरक्षण भत्ता भी दिया जाता है। (अन्य छात्रों को 100/– रूपये प्रतिमाह)

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

उद्देश्य

- इस योजना के तहत कक्षा 11 से पी.एच.डी. में पढने वाले मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।
- इसके तहत कुल छात्रवृत्तियों का 30 प्रतिशत छात्राओं को दिया जाएगा।
- पोर्टल पर पंजीकरण होने के बाद छात्रों को उनके शिक्षण संस्थान के माध्यम से उनके खातों में सीधे छात्रवृत्ति की राशि भेज दी जाती है।

आवेदन कैसे करें

- उपरोक्त दोनों तरह की छात्रवृत्ति के लिए राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑन–लाइन आवेदन देना होता है।
- इसके लिए पोर्टल पर स्व–प्रमाणित फोटो, माता–पिता की आय का प्रमाणपत्र तथा अपने अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में स्वयं का घोषणा पत्र लोड करना होता है। अब इस बारे में स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है।

पात्रता

- इसके लिए शर्त यह है कि छात्र के माता–पिता की वार्षिक आय 2 लाख रूपयों से अधिक न हो तथा उस छात्र ने अपनी पिछली परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

इस योजना से लाभ

- इस योजना के तहत हॉस्टलवासी व रोजाना स्कूल जाने वाले दोनों तरह के छात्रों को 7,000/– रूपये प्रतिवर्ष की दर से दाखिला तथा शिक्षण शुल्क पर आने वाले खर्च के लिए दिए जाते हैं। दोनों तरह के छात्रों का जो व्यवसायिक पाठयक्रमों में दाखिला लेना चाहते हैं, उन्हें दाखिले के लिए लगने वाले शुल्क के तौर पर 10,000/– रूपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं।
- अंडर ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट में दाखिले के लिए शिक्षण शुल्क के तौर पर 3,000/– रूपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। इसके अलावा कक्षा 11 व 12 में पढने वाले छात्रों को 7000/– रूपये प्रति वर्ष की दर पर और तकनीकी पाठ्यक्रम वाले छात्रों को 10,000/– रूपये प्रति वर्ष की दर पर अनुरक्षण भत्ता भी दिया जाता है।
- एम.फील एवं पी.एच.डी. के छात्रों को 3,000/– रूपये प्रति वर्ष की दर पर अनुरक्षण भत्ता भी दिया जाता है।
- अंडर ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट के होस्टल में रहने वाले छात्रों को 570/– रूपए प्रतिमाह तथा रोजाना कॉलेज जाने वाले छात्रों को 300/– रूपए प्रतिमाह की दर पर अनुरक्षण भत्ता दिया जाता है।

मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति

उद्देश्य

- इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थान में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए अलपसंख्यक समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

आवेदन कैसे करें

- इसके लिए स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होता है।
- इस के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा मार्च के महीने में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं।

पात्रता

- इसकी पात्रता के लिए छात्र के माता–पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- छात्र को उच्च माध्यमिक/स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त होना चाहिए।

इस योजना से लाभ

- इसके तहत छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को 10,000/– रूपये प्रतिवर्ष तथा छात्रावासों में न रहने वाले छात्रों को 5,000/– रूपये की दर से अनुरक्षण भत्ता मिलता है।
- छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के साथ–साथ छात्रावासों में न रहने वाले छात्रों को योजना के तहत 85 सूचीबद्ध संस्थानों के लिए पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति और अन्यों के लिए 20,000/– रूपये प्रतिवर्ष अथवा वास्तविक, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जाता है।

मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन

उद्देश्य

- यह संस्थान शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय, बहुल क्षेत्र में कार्य कर रहे स्कूलों और व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान करता है।
- वित्तीय सहायता स्कूल निर्माण/विस्तार, विज्ञान/कंप्यूटर प्रयोगशाला उपकरण/फर्नीचर खरीद, होस्टल भवन निर्माण तथा विस्तार के लिए दिया जाता है।

पात्रता

- इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित शिक्षण संस्थान/ट्रस्ट को तीन साल से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट/इंडियन ट्रस्ट एक्ट से पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- ऐसी संस्था किसी परिवार या व्यक्ति समूह के लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए।
- किसी राजनीतिक दल के हितों को बढ़ाने में लिप्त नहीं होनी चाहिए।
- ऐसी संस्था में 25 प्रतिशत से अधिक छात्र शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय से होने चाहिए।
- विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.maef.nic.in को देखें।

इस योजना से लाभ

- इस योजना के तहत विभिन्न कार्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा अलग–अलग है जो एक लाख से लेकर 50 लाख रूपये तक है।
- किसी एक शैक्षिक संस्थान को अधिकतम 50 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप

उद्देश्य

- इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के M.Phil और Ph.D करने वाले छात्रों को फेलोशिप ग्रांट प्रदान की जाती है।

पात्रता

- इसकी शर्त यह है कि वह छात्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यह कोर्स कर रहा है तथा दूसरे उसके माता–पिता की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये से अधिक नहीं है।

आवेदन कैसे करें

- यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसके लिए हर साल प्रमुख समाचार पत्रों में अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना जारी होने के पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
- विस्तृत जानकारी के लिए छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट (www.ugc.ac.in) पर इस योजना से संबंधित उपलबध दिशानिर्देश ध्यान से पढ़ने चाहिए।

इस योजना से लाभ

- इसके तहत वर्तमान दरों के अनुसार जूनियर रिसर्च फेलो को 25,000/– रूपये प्रतिमाह तथा सीनियर रिसर्च फेलो को 28,000/– रूपये प्रति माह दिए जाते हैं।

मेघावी छात्राओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय स्कॉलरशिप योजना

उद्देश्य

- मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्गों की मेघावी छात्राओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है।

पात्रता

- पात्रता के लिए ऐसी छात्राओं को अपनी पिछली परीक्षाओं में कम से कम 55 प्रतिशत अंक हासिल किए जाने चाहिए।
- ऐसी छात्राओं के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 1,00,000/– रूपयों से कम होनी चाहिए।

- जिन स्कूल/कॉलेज/संस्थान में ऐसी छात्राएं पढ़ रहीं हैं वह सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

- इसके लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है तथा उसमें दी गई अवधि के अंतर्गत आवेदन करना होता है।

इस योजना के लाभ

- इस योजना के तहत 12,000/– रूपये (कक्षा–11वीं में 6,000), एवं कक्षा–12वीं में 6,000 (रूपये) की स्कॉलरशिप दी जाती है।

ख्वाज़ा गरीब नवाज़ कौशल विकास प्रशिक्षण योजना

उद्देश्य

- मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार हासिल करने लायक बनाया जाता है।
- इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को विभिन्न तरह के व्यवसाय जैसे बूढ़े लोगों की देखभाल, मोबाइल व लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर व नेटवर्किंग, मोटर ड्राइविंग, सुरक्षा गार्ड, औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन, हाउस कीपिंग आदि व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान बाद में ऐसे संस्थानों के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है जिसका सारा खर्च फाउंडेशन उठाता है।

आवेदन कैसे करें

- ऐसे प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अनुसरण में आवेदन करना होता है।

इस योजना से लाभ

- इसके तहत युवाओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्तीय हानि नहीं हो, इसके लिए प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से मासिक भत्ता भी दिया जाता है।
- प्रशिक्षण की अवधि 2 से 6 माह की होती है।
- प्रशिक्षण के बाद ऐसे युवाओं को नौकरी हासिल करने में भी मदद की जाती है।

पढ़ो परदेस – ऋण सीमा – 20 लाख रूपये

उद्देश्य

- इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब मेघावी छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले एजुकेशन लोन पर लगने वाले ब्याज की राशि को भारत सरकार वहन करती है।

पात्रता

- इस योजना के तहत ब्याज की राशि पर सब्सिडी के लिए शर्त यह है कि उस छात्र के माता पिता की वार्षिक आय 6 लाख रूपये से अधिक नहीं हो तथा छात्र ने भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्नातकोत्तर, एम.फिल. अथवा पी.एच.डी. पाठयक्रमों में विदेश में दाखिला लेना हो।

आवेदन कैसे करें

- इस योजना के लिए एजुकेशन लोन के लिए प्राधिकृत Public Sector Bank (नोडल बैंक) अथवा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित निगम में आवेदन किया जाता है तथा सभी आवेदनों पर एक समिति द्वारा विचार कर अधिसूचित

अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी आबादी के अनुपात में ब्याज की मदद दी जाती है। बालिकाओं को वरीयता दी जाती है।

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निदेश पर प्राधिकृत बैंक अपने–अपने पोर्टल पर साल में एक बार इस योजना के तहत अभ्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित करते हैं।
- संबंधित बैंक को एजुकेशन लोन लेते समय पहले से सूचित करना होता है कि आप अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की पढ़ो परदेस योजना के तहत लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं ताकि बैंक मंत्रालय से ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर ले।

योजना से लाभ

- इस योजना के तहत मेघावी छात्र अधिकतम 20 लाख रुपये की राशि लोन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।

नया सवेरा – अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना

उद्देश्य

- इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को सरकारी व निजी नौकरियों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए कुछ चुनी हुई कोचिंग संस्थानों में कोचिंग प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रता

- इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए शर्त यह है कि उस छात्र के माता–पिता की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक न हो।
- दूसरे उस छात्र को कक्षाओं में उपस्थित रहना होगा तथा ऐसे छात्र बिना किसी वैध कारण के 15 दिन से अधिक अनुपस्थित नहीं रहा हो।

आवेदन कैसे करें

- इस योजना के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अपने पैनल पर शामिल करने के लिए कोचिंग संस्थाओं से कोचिंग प्रदान करने के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। जिन संस्थाओं को मंत्रालय के पैनल में सम्मिलित किया जाता है, उन्हीं चयनित संस्थाओं में हर साल इस योजना के तहत मुफ्त कोचिंग हेतु आवेदन किया जा सकता हैं। कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्रों की फीस का भुगतान मंत्रालय द्वारा कोचिंग संस्था को सीधे किया जाता है। इस योजना के तहत चयनित कोचिंग संस्थाओं की जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होती है।

इस योजना से लाभ

- जो छात्र वर्ग 'क' तथा 'ख' की सेवाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोचिंग फीस के रूप में 20,000/– रूपये तथा छात्रों को कोचिंग की अवधि के दौरान प्रतिमाह वृत्ति के रूप में बाहरी छात्रों को 3,000/– रूपये व स्थानीय छात्रों को 1,500/– रूपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।
- व्यवसायिक तथा तकनीकी पाठयक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए, निजी क्षेत्र में नौकरी व प्रशिक्षण के लिए कोचिंग के लिए भी उपरोक्त दरों पर वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- इसी प्रकार वर्ग 'ग' की सेवाओं के लिए तैयारी कर रहे छात्रों को कोचिंग फीस के रूप में 15,000/– रूपये तथा कोचिंग की अवधि के दौरान प्रतिमाह वृत्ति के रूप में बाहरी छात्रों को 3,000/– रूपये व स्थानीय छात्रों को 1,500/– रूपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

नई उड़ान

उद्देश्य

- इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के उन मेधावी छात्रों को, जिन्होंने IAS, IRS, IPS आदि के लिए होने वाली प्रिलिमिनरी परीक्षा पास कर ली है, उन्हें आगे की मेन परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

पात्रता

- इस सहायता के लिए शर्त यह है कि अभ्यार्थी ने संबंधित प्रिलिमिनरी परीक्षा पास कर ली हो तथा उसके माता–पिता की कुछ वार्षिक आय 4.5 लाख रूपयों से अधिक न हो।

आवेदन कैसे करें

- इस योजना के तहत प्रारंभिक परीक्षाओं के रिजल्ट निकलने के एक महीने के अंदर मंत्रालय की वेबसाईट (naiudaan-moma.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
- अभ्यार्थियों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर दिए गए दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

इस योजना के लाभ

- इसके तहत राजपत्रित पद की तैयारी के लिए 50,000/– रूपये तथा अराजपत्रित पद की तैयारी के लिए 25,000/– रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- यहां यह उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के कुल 800 अभ्यार्थियों को ही सहायता दी जाती है जिसमें 584 मुसलमान, 96 ईसाई, 80 सिख, 32 बौद्ध, 7 पारसी तथा 17 जैन अभ्यार्थियों को ही वित्तीय सहायता दी जाती है।

आर्थिक सशक्तिकरण

सीखो और कमाओ – अल्पसंख्यकों के कौशल विकास हेतु योजना

उद्देश्य

- इस योजना के तहत बीच में पढाई छोडने वाले अल्पसंख्यक वर्गो के बच्चों में कौशल विकास कर उनके लिए आजीविका के बेहतर अवसर पैदा किए जाते है।
- उनके लिए छोटी अवधि के ऐसे पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं जिनके माध्यम से बच्चों में हुनर पैदा किया जाता है ताकि वे बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकें।
- साथ ही साथ ये प्रशिक्षण संस्थान छात्रों को नौकरी हासिल करने में भी सहायता करते हैं।

इस योजना से लाभ

- इस योजना के तहत सरकार द्वारा कुछ प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया गया है जो अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए अल्प अवधि के लगभग सभी तरह के व्यवसायों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं तथा बिना कोई फीस लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तथा साथ ही साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को मासिक भत्ता भी दिया जाता है।
- इस सभी का खर्च केन्द्र सरकार वहन करती है तथा छात्रों को प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण के साथ ही साथ यह भत्ता भी दिया जाता है।
- इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रशिक्षण संस्थान को प्रत्येक प्रशिक्षु के मध्याहन भोज, चाय, यात्रा आदि पर खर्च के रूप में 20,000/– रूपये तथा प्रशिक्षण की अवधि के दौरान सभी उम्मीदवारों को दो माह की अवधि के लिए 4,000 रूपये छात्रवृत्ति दिया जाता है।

आवेदन कैसे करें

- इसकी विस्तृत जानकारी इस योजना की वेबसाइट (www.seekhoaurkamao-moma.gov.in) पर उपलब्ध है।

उस्ताद – विकास हेतु कौशल उन्नयन तथा पारम्परिक कलाओं/शिल्पों का प्रशिक्षण

इस योजना का उद्देश्य (अल्पसंख्यक समुदायों के सिद्धहस्त कारीगरों/शिल्पियों की परम्परागत कलाओं और कौशलों को बढ़ावा देना तथा उन्हें अद्यतन करना है। इसके तहत देश के विभिन्न स्थानों पर समय–समय पर हुनर हाट तथा शिल्प उत्सव आयोजित किए जाते हैं ताकि कारीगरों के उत्पादों की बिक्री में सहायता की जा सके। साथ ही साथ तकनीकी संस्थानों के माध्यम से उनकों अनुसंधान व तकनीकी सहायता प्रदान करना ताकि वे अपनी परम्परागत कलाओं का नई तकनीक अपनाकर और सुधार कर सकें तथा अपने उत्पादन को बढ़ा सकें। वर्ष 2017–18 में चार स्थानों अर्थात् पुडुचेरी मुम्बई अंतराष्ट्रीय व्यापार मेला तथा बाबा खड़क सिंह मार्ग नई दिल्ली में हुनर हाट आयोजित किए जा रहे हैं/आयोजित किए गए हैं।

उद्देश्य

- इसके तहत परम्परागत कलाओं और शिल्पों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन हेतु विविध प्रकार की प्रदर्शनियां, हुनर हाट तथा शिल्प–उत्सव आदि आयोजित किये जाते हैं, जहां उन्हें अनुसंधान तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही बाजार भी उपलब्ध करवाया जाता है।
- इसके तहत परम्परागत कला/हुनर में माहिर कलाकारों/शिल्पकारों द्वारा नौजवानों को प्रशिक्षण दिलवाया जाता है।
- इस योजना को कई अन्य मंत्रालयों जैसे वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय आदि के सहयोग से चुनी गई कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। ये एजेंसियां विभिन्न परम्परागत कलाओं के अलग–अलग क्षेत्रों में पाठ्यक्रम तैयार कर माहिर उस्तादों के द्वारा नौजवानों को प्रशिक्षण प्रदान करवाती हैं।

इस योजना से लाभ

- इस योजना के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान स्टाइपेंड भी दिया जाता है तथा बाद में उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने में सहायता भी दी जाती है।
- योजना की विस्तृत जानकारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

नई मंजिल–अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एकीकृत शिक्षा एवं आजीविका पहल

इस योजना का उद्देश्य गरीब अल्पसंख्यक युवाओं को रचनात्मक तौर पर नियोजित करना और उन्हें सतत एवं लाभकारी रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद करना है जिससे वे मुख्य धारा के आर्थिक क्रियाकलापों के साथ जुड़ सकें। इस योजना के तहत 17–35 वर्षों के आयु समूह वाले स्कूली ड्रॉपआउट अल्पसंख्यक युवाओं की पहचान कर उन्हें उनकी रूचि के अनुसार ब्रिज कोर्स के माध्यम से शिक्षा परामर्श व कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार प्राप्त करने में मदद की जाती है। इस समय देश के विभिन्न राज्यों में 72 केन्द्रों के माध्यम से हर साल लगभग 70,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार हासिल करने लायक बनाया जा रहा हैा योजना की विस्तृत जानकारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (मानस)

- मौलाना आजाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (मानस) की स्थापना दिनांक 11 नवंबर, 2014 को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के 125वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संस्था) के द्वारा की गई। यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की एक विशेष उद्देश्य वाहक (स्पेशल पर्पज़ वेहिकल) है जो अल्पसंख्यक समुदायों के समस्त कौशल उन्नयन/विकास जैसी जरूरतों को पूरा करने हेतु विशेष उद्देश्य के रूप में कार्य कर रही है। अल्पसंख्यक आबादी को उभरते बाजार की मांगों के साथ कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी स्थानीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगठनों के साथ मिलकर पीपीपी मॉडल के आधार पर अखिल भारत स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रारूप तैयार करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य स्वरोजगार को प्रमुखता देने के साथ–साथ अपने सभी प्रशिक्षुओं को स्वरोजगार/वैतनिक रोजगार के अवसर के साथ सार्थक एवं सतत जीवकोपार्जन का विकल्प प्रदान करना है।
- मौलाना आजाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम विभिन्न वाणिज्य एवं व्यवसायों में बाजार निर्धारित कौशल प्रशिक्षण सहित उद्यमशीलता (एंटरप्रेनयुरशिप) में प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास करेगा ताकि पुराने कौशल के स्थान पर नए कौशल प्रदान किए जा सके एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके स्वरोजगार उपक्रम/व्यापार स्थापना का उत्पादकता एवं तकनीकी उन्नयन में वृद्धि हो सके।
- चिन्हित लाभार्थियों को मौलाना आजाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी द्वारा अपेक्षित उद्यमी एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम के माध्यम से वित्तीय सहायता

स्व-रोजगार के लिए

इसके तहत ऋण योजना को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है:–

Credit Line 1: इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 81,000/– रूपए वार्षिक आय तथा शहरी क्षेत्रों में 1.03 लाख रूपये वार्षिक आय वाले अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है तथा इसके लिए ऋण की अधिकतम सीमा 20 लाख रूपये है।

Credit Line 2: इसके तहत 6 लाख सालाना आमदनी वाले अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को पुरूषों को 8 प्रतिशत तथा महिलाओं को 6 प्रतिशत रियायती ब्याज दर पर 30 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

- उपरोक्त दोनों योजनाओं में छह महीनों तक इस लोन की राशि पर ब्याज नहीं लिया जाता तथा इस लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज का खर्च केन्द्र सरकार वहन करती है।

- उधार की राशि 5 साल की अवधि में लौटानी होती है।
- इस योजना की विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित निगम की वेबसाइट www.nmdfc.org पर उपलब्ध है।

एजुकेशन लोन

- इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के मेधावी छात्रों को अपनी शिक्षा आगे जारी रखने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम के माध्यम से भारत में शिक्षा हेतु 15 लाख रूपये तथा विदेशों में शिक्षा हेतु 20 लाख रूपयों तक की राशि का लोन 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है।
- छह महीनों तक इस लोन की राशि पर ब्याज नहीं लिया जाता तथा इस लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज का खर्च केन्द्र सरकार वहन करती है।
- उधार की राशि, पाठयक्रम पूरा होने के बाद 5 साल की अवधि में लौटानी होती है।

विशेष प्रयास

नयी रोशनी – अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास हेतु योजना

उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व का विकास कर उनको सशक्त करना तथा उनमें आत्मविश्वास बढाना है ताकि वे अपने घर के दायरे से बाहर निकल कर समाज में अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें तथा सरकार की विकास योजनाओं का लाभ उठा सकें।
- इस योजना को गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है जो अल्पसंख्यक महिलाओं को नेतृत्व विकास में प्रशिक्षण प्रदान करती हैं तथा इसका सारा खर्च केन्द्र सरकार वहन करती है।

पात्रता

- हालांकि इस योजना के तहत महिला के आय की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है परन्तु फिर भी ऐसी महिलाओं को वरीयता दी जाती है जिनके परिवार की सालाना आमदनी 2.50 लाख रूपये है।
- इस प्रशिक्षण में 18 से 65 वर्ष तक की आयु की महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं।

इस योजना से लाभ

- इस योजना के तहत महिलाओं को कई तरह के विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया जैसे–महिलाओं के नेतृत्व–क्षमता, सामाजिक एवं व्यवहारगत परिवर्तन की हिमायत, स्वच्छ भारत, महिलाओं के कानूनी अधिकार, जीवन कौशल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शैक्षिक सशक्तिकरण, पोषक एवं खाद्य सुरक्षा, सूचना का अधिकार, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, डिजीटल भारत, जेंडर एवं महिलाएं, महिलाएं एवं कड़ी मजदूरी, महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध हिंसा एवं सरकारी तंत्रों का परिचय आदि।

जियो पारसी

भारत में पारसियों की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए साल 2013–14 में इस योजना को शुरू किया गया। इसके तहत पारसी शादी–शुदा जोड़ों को इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बम्बई पारसी पंचायत तथा स्थानीय अंजुमनों के सहयोग से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्राजोर फाउंडेशन नोडल एजेंसी है। इस योजना के तहत इलाज सहायता व समर्थन से अब तक 110 बच्चों का जन्म हो चुका है।

हमारी धरोहर

उद्देश्य

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों की समृद्ध धरोहर का संरक्षण एवं बढ़ावा देने हेतु "हमारी धरोहर" के रूप में एक नयी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल हैं:
- भारतीय संस्कृति की समेकित धारणा के तहत अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, प्रदर्शनियों को क्यूरेट करना, साहित्य/दस्तावेजों का संरक्षण, हस्तलिपि इत्यादि को बढ़ावा, संवर्धन, शोध एवं विकास।

पात्रता

- उम्मीदवार अधिसूचित अल्पसंख्यक होना चाहिए तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उस क्षेत्र में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए जिसमें वह उपरोल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अध्येतावृति प्राप्त करना चाहता/चाहती है।
- उसे किसी विश्वविद्यालय/संस्थान में नियमित एम.फिल./पी.एच.डी. के लिए प्रवेश प्राप्त होना चाहिए।

- उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वार्षिक लक्ष्यों की 35 प्रतिशत सीटें अल्पसंख्यक बालिकाओं/महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की जाएंगी।

आवेदन कैसे करें

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय संगठनों/संस्थानों से समाचार पत्रों तथा मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट में विज्ञापन के माध्यम से चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव आमंत्रित करेगा।

हज प्रबंधन

- 1 अक्टूबर, 2016 से हज प्रबंधन का सारा काम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। इसके लिए मंत्रालय में एक अलग डिविजन बनाई गई है। पिछले साल की तुलना में 2017 में हज यात्रियों का कोटा 25 प्रतिशत बढ़ गया है। इस समय हज यात्रियों का भारत का कुल कोटा 1,70,025 यात्री है। सरकार द्वारा हज यात्रियों के लिए सउदी अरब के हज हाउस में आवास, परिवहन, स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्याप्त प्रबंधन करने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है।

वक्फ डिविजन

वक्फ डिविजन इस समय दो योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है:

1. **राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण तथा उनका सुदृढीकरण**

   इसके तहत वक्फ मैनेजमेंट सिस्ट्म आफ इंडिया नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इस कम्प्यूटर सिस्टम में अब तक 5,59,937 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना के तहत राज्य वक्फ बोर्डों को प्रत्येक वक्फ संपत्ति के डाटा एंट्री के लिए 550/– रूपये का अनुदान किया जाता है। यही नहीं सर्वोत्तम कार्य करने वाली मुत्तावली/वक्फ प्रबंधन समिति को पुरस्कार भी दिया जाता है।

2. **वक्फ बोर्डों को अनुदान**

   इसके तहत वक्फ बोर्डों के कार्यक्रम को सुदृढ़ करने तथा उनमें पारदर्शिता लाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। बेहतर प्रशासन के लिए प्रत्येक राज्य बोर्ड को तीन लाख रूपयों की एकमुश्त सहायता प्रदान की गई है।

नई पहल

स्वच्छ विद्यालय: इसके तहत स्कूलों/संस्थानों/मदरसों में लड़कों व लड़कियों के लिए अलग–अलग टॉयलेट ब्लॉक बनाए जाऐंगे।

मदरसों को वित्तीय सहायता: इसके तहत पंजीकृत व मान्यता प्राप्त अथवा प्रख्यात मदरसों के अध्यापकों/भोजन/टॉयलेट के लिए वित्तीय सहायता दी जायेगी।

शादी शगुन: इसके तहत लड़कियों को अपनी शिक्षा जारी रखने तथा स्कॉलरशिप योजना की लाभार्थी लड़कियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लड़कियों को स्नातक परीक्षा पास करने अथवा शादी के समय 51,000/– रूपये की राशि भेंट स्वरूप दी जाएगी।

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसडीपी)

- बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तौर पर शुरू किया गया था। यह अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में वर्ष 2008–09 में शुरू की गयी केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। यह सामाजिक–आर्थिक अवसंरचना का सृजन करते हुए तथा मूल–भूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास संबंधी कमियों को दूर करने की क्षेत्र विकास पहल है।
- सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन हेतु बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की पुनर्संरचना का अनुमोदन किया है। कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने तथा लक्षित अल्पसंख्यकों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए इसकी पुनर्संरचना की गयी है। पुनर्संरचित एमएसडीपी में जिले के बजाए ब्लॉकों/नगरों को योजना की इकाई बना दिया गया है ताकि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों पर और अधिक ध्यान दिया जा सके।
- 15 सूत्री कार्यक्रम के लिए जिला एवं राज्य स्तरीय समितियां क्रमशः जिला एवं राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। केंद्र में, अधिकार–प्राप्त समिति भी कार्यक्रम को मॉनिटर करने के लिए निगरानी समिति के रूप में कार्य करती है। सचिवों की समिति (सीओएस) द्वारा छः महीने में एक बार 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा के साथ–साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत हुई प्रगति की भी समीक्षा की जाती है और फिर प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के साथ मंत्रिमंडल को सूचना दी जाती है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भी तिमाही आधार पर प्रगति को मॉनिटर किया जाता है।
- पुनर्संरचित बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के दिशा–निर्देशों में यथापरिकल्पनानुसार एमएसडीपी के अंतर्गत ली जाने वाली परियोजनाएँ आय सृजन अवसरों के निर्माण के अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, स्वच्छता, पक्के आवास, सड़कों, पेयजल हेतु बेहतर अवसंरचना के प्रावधान से संबंध रखती है। इसके अतिरिक्त, साइबर ग्राम नामक एक नया संघटक कक्षा VI से X तक के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के मध्य डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लक्ष्य से वर्ष 2014–15 से ही एमएसडीपी के अंतर्गत एक पहल के रूप में आरंभ की गयी है।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम

(क) शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना

(1) एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य है। उपेक्षित वर्गों के बच्चों, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण विकास। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। जैसे पोषण, स्वास्थ्य जांच, प्रतिरक्षीकरण, औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा। आईसीडीएस प्रोजेक्ट और आंगनबाड़ी केंद्र पर निश्चित संख्या में अल्पसंख्यक घनी आबादी वाले गांवों/प्रखंडों में स्थापित किए जाएंगे ताकि इस योजना का लाभ ऐसे समुदायों को भी उचित रूप से मिल सके।

(2) विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना

सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनाओं और ऐसी अन्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे विद्यालयों की एक निश्चित संख्या अल्पसंख्यक समुदायों की घनी जनसंख्या वाले गांवों/क्षेत्रों में स्थापित की जाए।

(3) उर्दू शिक्षण के लिये अधिक संसाधन

उन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में उर्दू भाषा के अध्यापकों की भर्ती एवं तैनाती के लिये केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जो इस भाषा वर्ग से संबंधित कम से कम एक चौथाई जनसंख्या की सेवा करते हो।

(4) मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण

एरिया इंटेसिव और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की केंद्रीय योजनागत स्कीम में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मूल शैक्षिक अवसंरचना तथा मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान है। इस आवश्यकता पर ध्यान देने के महत्व को देखते हुए, यह कार्यक्रम पर्याप्त रूप से सुव्यवस्थित व प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।

(5) अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति

अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना बनायी एवं कार्यान्वित की जाएगी।

(6) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना को उन्नत करना

सरकार, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सभी संभव सहायता देगी ताकि यह अपने कार्यकलाप को अधिक प्रभावी रूप से सुदृढ़ व व्यापक कर सके।

(ख) आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी

(7) गरीबों के लिए स्व-रोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना

(क) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम योजना प्राथमिक स्व–रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य हैं गरीब ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से उपर लाना। ऐसा बैंक ऋण और सरकारी सहायता के द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक और भौतिक लक्ष्यों का कुछ प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया जाएगा।

(ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के दो मुख्य घटक है, शहरी स्वरोजगार योजना (यू.एस.ई.पी.) और शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम (यू.डब्ल्यू.ई.पी.)। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत भौतिक और आर्थिक लक्ष्यों का कुछ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाएगा।

(ग) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाइ.) का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना और एक टिकाउ समुदाय व सामाजिक आर्थिक अवसंरचना का निर्माण करना। चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कार्यक्रम 200 जिलों में शुरू किया गया है तथा इन जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को इस कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया है, बचे हुए जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटन का निश्चित प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के लिए उस समय तक निर्धारित किया जाएगा, जब तक इन जिलों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल नहीं कर लिया जाता है। साथ ही आवंटन का निश्चित प्रतिशत ऐसे गांवों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए निर्धारित किया जाएगा, जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों की काफी आबादी है।

(8) तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन

अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का एक बड़ा भाग निम्न श्रेणी के तकनीकी कार्यों में लगा हुआ है या दस्तकारी द्वारा अपनी उपजीविका कमाता है। ऐसे लोगों के लिये तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दिये जाने से उनकी कौशल और उपजीविका क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिये सभी नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से कतिपय संस्थान अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे और उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में उन्नत किये जाने वाले मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से कुछ संस्थानों का उन्नयन उसी आधार पर किया जाएगा।

(9) आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) को 1994 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य, अल्पसंख्यक समुदायों में आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना था। सरकार इस निगम को अधिक इक्विटी सहायता देकर इसे सुदृढ़ बनाने के लिए वचनबद्ध है, जिससे कि यह निगम अपने उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त कर सकेगा।

(ख) स्वरोजगार योजना के निर्माण और उसे बनाये रखने के लिए बैंक ऋण आवश्यक है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए कुल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत लक्ष्य घरेलू बैंकों के लिए निश्चित किया गया है। इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ शामिल है – खेती के लिए ऋण, लघु उद्योगों एवं छोटे काम–धंधों के लिए ऋण, रिटेल ट्रेड, व्यावसायिक व स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए ऋण, शिक्षा के लिए ऋण, घर के लिए ऋण व अन्य छोटे ऋण। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी श्रेणियों में प्राथमिकता क्षेत्रों में दिये जाने वाले ऋण का निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है।

(10) राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती

(क) राज्य सरकार को यह सलाह दी जाएगी कि पुलिस कर्मिकों की भर्ती करते समय अल्पसख्यक समुदायों के अभ्यार्थियों पर विशेष रूप से विचार किया जाए। इसके लिए चयन समितियों में अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों की भागीदारी होनी चाहिए।

(ख) केंद्र सरकार भी केंद्रीय पुलिस बलों में कार्मिकों की भर्ती करते समय इसी प्रकार की कार्रवाई करेगी।

(ग) रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंकों और पब्लिक सेक्टर उद्यमों द्वारा बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। इन मामलों में भी, संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि भर्ती करते समय अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(घ) अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को सरकारी व विश्वसनीय गैर–सरकारी संस्थाओं में कोचिंग प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की जाएगी, जिसमें इन संस्थाओं को सहायता दी जाएगी।

(ग) अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के जीवन स्तर की दशा में सुधार करना

(11) ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी

इंदिरा आवास योजना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों के लिए आवास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत भौतिक व आर्थिक लक्ष्यों का निश्चित प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लिये निर्धारित किया जाएगा।

(12) अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार

एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम की योजनाओं के अंतर्गत केंद्र सरकार शहरी मलिन बस्तियों के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देती है जिससे इन बस्तियों में जन सुख सुविधायें और मूल सेवायें उपलब्ध कराई जाती हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन कार्यक्रमों का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों तथा इन समुदायों की घनी आबादी वाले नगरों/मलिन बस्तियों को उचित रूप से मिलें।

(घ) सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम व नियंत्रण

(13) सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम

सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील और दंगा संभावित के रूप में अभिज्ञात किये गये क्षेत्रों में ऐसे जिले एवं पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो अत्यधिक कुशल, निष्पक्ष और निरपेक्ष अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में और अन्य कहीं भी सांप्रदायिक तनाव को दूर करना जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की प्राथमिक ड्यूटियों में शामिल होना चाहिए। इस संबंध में इनका कार्य निष्पादन इनकी पदोन्नति नियमित करने में एक महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए।

(14) सांप्रदायिक अपराधों के लिये अभियोजन

उन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जो सांप्रदायिक दंगे भड़काते हैं अथवा हिंसा करते हैं। इसके लिए विशेष न्यायालय स्थापित किये जाने चाहिए ताकि अपराधियों को शीघ्रता से सूचीबद्ध किया जा सके।

(15) सांप्रदायिक दंगों के पीडितों का पुनर्वास

सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत दी जानी चाहिए तथा उनकी पुनर्वास के लिये उपयुक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण का संपर्क विवरण

क्रम संख्या	नाम और पदनाम	फोन/फैक्स	ई–मेल
1.	**श्री सैय्यद ग़युरुल हसन रिज़वी** अध्यक्ष	011-24360591/ 011-24368410	chairman-ncm@nic.in
2.	**श्री जॉर्ज कुरियन** उपाध्यक्ष	011-24360809/ 011-24362644	georgekurian1995@gmail.com
3.	**श्री सुनील सिंघी** सदस्य	011-24361176	singhisunil@yahoo.com
4.	**सुश्री सुलेखा कुंभारे** सदस्य	011-24363710	sulekha.kumbhare@gmail.com
5.	**श्री वडा दस्तूरजी खुरशेद के. दस्तूर** सदस्य	011-24367029	khureshedk.dastoor@gov.in
6.	**श्री मंजीत सिंह राय** सदस्य	011-24364128	msrai-ncm@gov.in

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
ब्लॉक-3, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003
फोन नं: 011-24364816, 011-24363821
टोल फ्री नं.: 1800-1100-88